(d) whether'it is also a fact that drug companies are utilising the amount due to exchequer without interest; and

(e) if so, what steps have been taken after 1985 to recover the due amount?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO). (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

c) Yes Sir.

(d) and (e) The amount recoverable under Para 7(2) of DPCO, 1979 would be recovered as per due process of Law.

Stir by Small Scale Industries

. 1640. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of IN*-DUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention ... has been drawn to a news-item,,-captioned "Small sector stir to hit exports" as reported in the Hindustan Times dated the 16th April, 1989;

(b) if so, whether the target of exports has fallen substantially as a result thereof;

(c) whether Government propose to examine the grievances of the SSIs in. view of fall in exports; and

(d) if so, what are the detals thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. Exports have not been adversely affected.

(c) and (d) Certain post budget representations were ' received - from various SSI associations. Government had examined these representations and taking into account the incerease in the cost of raw materials and inputs over the years, the eligibility limit of value of clearances was increased from Rs. 150 lakhs to Rs. 200 lakhs for the purposes of availing the exemption under notification No. 175/86. The scheme of- notional credit under MODVAT in terms of notification No. 175/36, dated 1.3.1986 read wtih Rule 57-B of Central Excise Rules, 1944 was also extended for one year, that is, upto 31.3.1990.

एस्बेस्टास के उत्पादन में लगी कंपनियां

1641. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एस्बेस्टास के रेशों के उत्पादन में लगी कंपनियों की संख्या कितनी है, जिनका मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर घातक प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच हैं कि हैदराबाद एस्बेस्टॉस लिमिटेड हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्बेस्टॉस सीमेंटस लिमिटेड, एवरेस्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, श्री पाइप्स लिमिटेड मालवार बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान फैऐडो लिमिटेड जैसे बड़े औद्योगिक एकक अभी भी एस्बस्टॉस का लगातार उत्पादन कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके उत्पादन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्योंकि यह मानव शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची में एस्बेस्टोस टिश्यूज का उत्पादन करने वाली कोई इकाई नहीं हैं । तथापि, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में एस्बेस्टॉस फाइबर का उत्पादन वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान क्रमशः 26,788 मी० टन, 28,528 मी० टन, और 30,377 मी० टन (अनंतिम) रहा ।

(ख) ये उपक्रम एस्बेस्टोज के उत्पादन में नहीं लगे हैं । ये एस्बेस्टोज सीमेंट/गैर-सीमेंट उत्पादों का विनिर्माण करते हैं ।

(ग) सरकार ने एस्बेस्टोज उत्पादों के विनिर्माण में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) अनुसूची—15 और कारखानों अधिनियम, 1948 की धारा 87 के के अधीन बनाये गये मॉडल नियम 123–क को कार्य संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अद्यतन बना दिया गया है ।

(2) उद्योग तथा कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों के मार्ग-दर्शन हेतु भारतीय मानक ब्यूरो ने एस्बेस्टोज और उसके उत्पादों के इस्तेमाल में सुरक्षा हेतु मानक/कोड्स तैयार किये हैं ।

(3) एस्बेस्टोज तथा एस्बेस्टोज उत्पादों को 4, नवम्बर, 1986 से अनिवार्य लाइसेंसिंग उपबंधों के अधीन लाया गया है जिससे यहां तक कि लघु औद्योगिक उपक्रमों को भी ऐसे उत्पादों के विनिर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया है । इन उत्पादों के विनिर्माण के लिए नयी क्षमता सृजन संबंधी किसी प्रस्ताव का पिछले पांच वर्षों से अनुमोदन नहीं किया गया है ।

(4) एक विशेषज्ञ ग्रुप गठित किया गया है जिसके विचारनीय विषय निम्नलिखित हैं :—

(i) विभिन्न उत्पादों में एस्बेस्टोज फाइबर के विकल्प के इस्तेमाल संबंधी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की विद्यमान अवस्था का अध्ययन करना ।

(ii) भारत में ऐसी प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं को अपनाने की तकनीकी आर्थिक संभावनाओं का मूल्यांकन करना ।

(iii) एस्बेस्टोज के प्रतिस्थापना के लिए एक समय-बद्ध कार्य योजना लक्ष्य को निर्धारित करना ।

(iv) वैकल्पिक फाइबरों और उनसे बने उत्पादों की मेडिकल व बायोलजिकल प्रभावों के बारे में सूचना एकत्र करना और उनके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए विनियम सुझाना ।

(v) उन उत्पादों के विनिर्माण के लिए जो एस्बेस्टोज उत्पादों का विकल्प बन सकते हैं, की प्रौद्योगिकी व पूंजीभाल के आयात के लिए प्रस्तावों पर उदारता से विचार किया जाता है । ऐसी कुछ स्कीमों को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है ।

Financial incentives to bamboo based industries

1642. SHRI K, V. THANGKABALU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

% (a) whether any financial incentives are provided to bamboo based industries;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether export potential of *the* products of these bamboo based industries has been explored; and;

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNA CHALAM); (a) and (b) Bamboo based industry falling within the purview of the Khadi and Village Industries Commission 'are provided the following *assistance/eon cessions:'*—

(i) Financial assistance in the form of loans and grants according *to* approved *pattern.* Fiscal concessions, such as, exemption from income-tax, sales tax interest subsidy etc.